कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था/02/2020/4857 दिनांक :– 17अगस्त, 2020

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की सूचना Gen/XV/42/2020/4438 दिनांकित 16.08.2020 की अनुपालना में **जयपुर महानगर–प्रथम न्यायक्षेत्र के अन्तर्गत जयपुर मुख्यालय** पर स्थित निम्न न्यायालयो (सांगानेर, चाकसू व बस्सी मुख्यालय को छोडकर) के अति–आवश्यक प्रकृति के दीवानी व फौजदारी मामलों **(जिला न्यायाधीश संवर्ग के स्पेशल कोर्ट/ट्रिब्यूनल्स को छोडकर)** की सुनवाई हेतु **दिनांक 17.08.2020 से 19.08.2020** तक निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :–

01 **जिला एवं सेशन न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ समस्त अपर जिला एवं सेशन न्यायालय के उपरोक्त कार्य हेतु :–**

क्र0सं0	न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी का नाम जिन्हें अधिकृत किया गया है
1	2
01	Sh. Esrar Khokhar, Spl. Judge (Fake Currency)

02 **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजि0 तथा समस्त अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अपर मुख्य महानगर मजि0 स्तर के न्यायालय के उपरोक्त कार्य हेतु (किशोर न्याय बोर्ड सं0 1 को छोड़कर) :–**

क्र0सं0	न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी का नाम जिन्हें अधिकृत किया गया है
1	2
01	Sh. Mahendra Pratap Bhati, ACMM No. 1

02ए किशोर न्याय बोर्ड संख्या 01 का आवश्यक कार्य बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में लिंक अधिकारी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड संख्या 02 एवं उनके भी अवकाश पर रहने पर उपरोक्त तालिका संख्या 02 में नामित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

03 **समस्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि0/अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजि0/विशिष्ठ महानगर मजि0 (एन आई एक्ट केसेज) के उपरोक्त कार्य हेतु तथा जयपुर महानगर–प्रथम की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक कार्य यथा मृत्युकालिक कथन, धारा 176 द0प्र0सं0 के तहत जांच एवं मृत्यु समीक्षा संबंधी कार्य एवं जयपुर मुख्यालय स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन लेखबद्ध करने आदि कार्य हेतु :–**

क्र0सं0	न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी का नाम जिन्हें अधिकृत किया गया है
01	Ms. Raju Ram, MM No. 1

नोटः– उपरोक्त बिन्दू संख्या 03 में अंकित पीठासीन अधिकारी के मृत्युकालिक कथन, धारा 176 द0प्र0सं0 के तहत जांच एवं मृत्यु समीक्षा संबंधी कार्य एवं धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन लेखबद्ध करने के कार्य में जाने पर उक्त न्यायालय का कार्य उपरोक्त बिन्दू संख्या 02 में नामित अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि सुनवाई से पूर्व न्यायालय एवं कार्यालय कक्ष को भली प्रकार सैनिटाईज करावें तथा माननीय राज0 उच्च न्यायालय एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा–निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना की जावे।

सांगानेर, चाकसू व बस्सी मुख्यालय पर स्थित सभी न्यायालय नियमित रूप से सुनवाई करेंगे।

17/8/2020
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक : स्था/02/2020/4857 दिनांक :– 17अगस्त, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01 विशिष्ठ न्यायालय एनडीपीएस/सीबीआई कम– 1 से 5/पोक्सो कम–1 से 3/पारिवारिक न्यायालय कम–1व 3/साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण/एमएसीटी नं. 1 व 2, जयपुर महानगर–प्रथम
02 समस्त पीठासीन अधिकारी जयपुर महानगर–प्रथम न्यायक्षेत्र
03 पुलिस आयुक्त, जयपुर को इस संबंध में सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित कराने हेतु
04 अध्यक्ष/सचिव, दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
05 सहायक निदेशक अभियोजन प्रथम/द्वितीय, जयपुर महानगर।
06 अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर शहर/जिला।
07 राजकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक, सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम
08 सिस्टम ऑफिसर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09 नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा/आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

17/8/2020
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–प्रथम